डॉ० शुचिता चतुर्वेदी
सदस्य

आज़ादी का अमृत महोत्सव

उत्तर प्रदेश
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
लखनऊ -226001

पत्रांक रा0बा0आ0 / 293 / शिका–40 / 2022–23 दिनांक 02.06.2022

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
अल्पसंख्यक विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

विषयः उत्तर प्रदेश के समस्त गैर मान्यता प्राप्त मरदसो का संचालन बंद कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम–2005 की धारा–17 (1) के प्राविधानों के अन्तर्गत किया गया है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को बाल संरक्षण एवं अधिकार से सम्बन्धित मामलों का अनुश्रवण करते हुए उचित कार्यवाही करने के लिए अधिकार प्राप्त हैं। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम–2005 की धारा–13 (1) (जे) तथा 14 (1) के प्राविधानों के अन्तर्गत इस आयोग को बालकों के अधिकारों का उल्लघंन एवं उनकी संरक्षा के अतिक्रमण का स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच कराने का पूर्ण अधिकार है।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा वर्तमान में जनपद लखनऊ के गोसाईगंज स्थित मदरसे का निरीक्षण किया गया। उस मदरसे में दो बच्चो को पैरो में जंजीर बांध कर रखा गया था साथ ही उस मदरसे में अनेक अनियमितताये भी पायी गयी। जॉच के दौरान ही पता चला कि वह मदरसा गैर मान्यता प्राप्त था। जिसका संज्ञान आयोग द्वारा लिया जा चुका है। पूर्व निरीक्षणों एवं समाचार पत्रों से संज्ञान में आया है कि प्रदेश में कई मदरसे गैर मान्यता प्राप्त/विधि विरूद्ध संचालित हो रहे है। ऐसे मदरसे बच्चों को स्कूली शिक्षा से वंचित कराकर अपने यहॉ प्रवेश ले रहे है। जिनमें कुछ मदरसों में बच्चों के साथ शारीरिक, मानसिक एवं लैंगिक शोषण का प्रकरण भी आयोग के संज्ञान में आया है। ऐसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की निगरानी किसी भी विभाग द्वारा नहीं हो पाती है। जिसके कारण ऐसी अमानवीय घटनाओं की जिम्मेदारी कोई विभाग लेने को तैयार नहीं होता है। ऐसे मदरसो में पढ़ने वाले बच्चे गुणवत्तापरक शिक्षा, सुदृढ स्वास्थ्य, सर्वांगीण विकास आदि से वंचित हो रहे है। तथा समाज की मुख्य धारा से भी दूर होते जा रहे है। 6–14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा न देना उनके मौलिक अधिकारो का हनन है। यह बच्चे स्कूलों/आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत न होने के कारण सरकार की मिडडे मील योजना/पुष्टाहार/टीकाकरण प्राप्त होने से भी वंचित रह जाते है। जिसके कारण बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा है। राष्ट्रीय बाल नीति 2013 के अनुसार बच्चे देश की धरोहर है, बचपन को जीवन का अटूट अंश माना गया है और यह अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है। प्रदेश का प्रत्येक बच्चा देश का भविष्य है। देश की उन्नति में बच्चों की अहम भूमिका होती है, किन्तु कुछ मदरसो के द्वारा बच्चो के साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया जा रहा है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21ए एवं 39(एफ) की अवहेलना है।

.....2

अतः आपसे अपेक्षा है कि उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का चिन्हांकन कराते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से बन्द कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराये एवं कृत कार्यवाही से आयोग को भी 15 दिवस में अवगत कराये।

भवदीया

(डॉ0 शुचिता चतुर्वेदी)
सदस्य

पंत्रांक : रा0बा0आ0/ 293 /शिका–40/2022–23 दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

2–मा0 अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, लखनऊ।

सदस्य